कुलसचिव
Registrar

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी–2
दूरभाष– 0542 2221718
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith
Varanasi-2
Tel. No.- 0542 222689

दिनांक– 19 जनवरी, 2012

कार्यालय आदेश

उच्च शिक्षा अनुभाग–6 उ0प्र0 शासन के पत्रांक संख्या– 1654/सत्तर–6–2011–2(218)/2011 दिनांक 19 अगस्त, 2011 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2007) की धारा 37(2) के अधीन धीरेन्द्र महिला महाविद्यालय, करमाजीपुर, सुन्दरपुर, वाराणसी को स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत समाजशास्त्र विषय में एवं वाणिज्य संकाय के अंतर्गत एम0काम0 पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2010–11 के परीक्षाफल के अभाव में दिनांक 01.07.2011 से शैक्षिक सत्र 2011–12 हेतु शर्तो के अधीन सम्बद्धता प्राप्त हुई है। उक्त के क्रम में महाविद्यालय द्वारा परीक्षाफल प्रस्तुत किया गया। स्नातकोत्तर स्तर पर समाजशास्त्र एवं एम0काम0 पाठ्यक्रम में सत्र 2010–11 का परीक्षाफल 60 प्रतिशत से अधिक होने तथा सामूहिक नकल का आरोपित न होने के कारण महाविद्यालय को उक्त विषय/पाठ्यक्रम में कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में दिनांक 01.07.2011 से निम्नलिखित शर्तो के अधीन सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की जाती है।

1. संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

भवदीय,

(एस0एल0मौर्य)
कुलसचिव

पत्रांक– कु0स0–सम्बद्धता/01/ 65 /2011 तद् दिनांक
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही :–
1. मा0 कुलपति जी–सूचनार्थ।
2. अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. परीक्षा नियन्त्रक, म0गां0 काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
4. सहायक कुलसचिव (समिति)।
5. प्रबंधक धीरेन्द्र महिला महाविद्यालय, करमाजीपुर, सुन्दरपुर, वाराणसी।

(एस0एल0मौर्य)
कुलसचिव